

वाराणसी-जोन के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बलिया, गोरखपुर, बस्ती एवं गोण्डा नगरों के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों एवं भवनों की नीलामी/आवंटन



नीलामी तिथि
दि. 23.08.2016
समय
प्रातः 10.30 बजे

नीलामी स्थल: उप आवास आयुक्त, वाराणसी जोन, ऑफिस काम्पलेक्स, जवाहर नगर (भेलूपुर), वाराणसी

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.में	आरक्षित दर (प्र.व.मी.में)/ अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकनमनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
कम्युनिटी फेसिलिटी भू.सं-सेक्टर-1, (अनारक्षित)	01	1480.00	28952.00	21.43
डोमरौली योजना, मिर्जापुर				
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सीपी-114/1 (अनु0 जाति)	01	79.29	19712.00	1.51
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सीपी-114/2 (अनारक्षित)	01	99.34	19712.00	1.96
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सीपी-114/3 (अनु0 वर्ग)	01	77.34	19712.00	1.53
हरपुर योजना, बलिया				
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-2ए/सी0पी0-2 (सामान्य)	01	97.95	29120.00	2.86
शाहपुर योजना संख्या-2/3 गोरखपुर				
दुकानें-एलजीएफएस-6,7,12 (अनारक्षित)	03	9.922 वर्गमी0	1112258.00	1.12 नीलामी द्वारा
दुकानें-एलजीएफएस-2,3,4,5,8,9,10,11 (अनारक्षित)	08	9.633 वर्गमी0	1079250.00	1.08 नीलामी द्वारा
सत्यवानपुरी कटरा योजना, बस्ती				
आवासीय भूखण्ड (छोटा) 328/1 अनु0 जाति	01	66.50	9856.00	0.33 लॉटरी द्वारा
आवासीय भूखण्ड (छोटा) 328/2 पिछड़ी जाति	01	60.00	8960.00	0.27 लॉटरी द्वारा
आवासीय भूखण्ड (छोटा) 328/6 सामान्य	01	66.50	9856.00	0.33 लॉटरी द्वारा
वैन्हे योजना, तहसील हरैया:- 15/25 प्रकार बी0पी0एल0				
कार्ड धारकों हेतु आवासीय भवन,	38	25.00	35000.00 प्रति नग	0.05 लॉटरी द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद				
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.- 1341/1 (अनारक्षित)	01	243.81	16800.00	4.10
व्यवसायिक भूखण्ड-7	01	208.96	16800.00	0.35
कियोरक के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	4.00 वर्ग मी0	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 वर्ग मी0	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
जी०टी०वी० नगर योजना, इलाहाबाद				
E.W.S.-B-359/1 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00	20160.00	25200.00
E.W.S.-B-359/2 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00	20160.00	25200.00
भरतपुरी योजना, गोण्डा				
आवासीय भू0 एल-1616 के बगल अतिरिक्त भूमि/सामान्य	01	23.60 वर्गमी0	7840.00	0.10
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 वर्ग मी0	8470.00	13.45
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 वर्गमी0	8470.00	15.78
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-1861/3 (सामान्य)	01	242.00 वर्गमी0	15680.00	3.80
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-1861/4 सी (सामान्य)	01	297.00 वर्गमी0	17248.00	5.13

नोट:- तहसील हरैया, जनपद बस्ती के लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी बस्ती द्वारा उपलब्ध कराने पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

1. शैक्षिक भूखण्डों हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 80-भरतपुरी योजना, आवास विकास कालोनी, गोण्डा से नकद जमा करके पुस्तिका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शार्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/प्राप्त आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी एवं नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा अथवा नीलामी तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। नीलामी फार्म पूर्वान्ह 10.30 बजे तक टोकन ले सकते हैं। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

विशेष सूचना :- परिषद के आवंटित/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय वृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10.00 से 12.30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। **आवास आयुक्त**